कार्यवृत्त

सोमवार, 13 चैत्र, शक संवत्, 1940

(दिनांक : 26 मार्च, 2018)

खण्ड-50
अंक-6

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, गैरसैण में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर विपक्ष के सभी मा0 सदस्य नियम-310 के अन्तर्गत दी गयी सूचना सरकार द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति न किये जाने पर चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर तख्तियां लेकर अपने-अपने स्थान पर खड़े जोर-जोर से अपनी बात कहने लगे। जिससे सदन में व्यवधान होने लगा। श्री अध्यक्ष ने कहा कि पहले प्रश्नकाल होने दें, उसके बाद वे इसे नियम-58 में सुन लेंगे।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति 100 दिन में किये जाने का वादा किया था, लेकिन एक वर्ष व्यतीय होने के बाद भी सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति से पीछे हट रही है। इस पर संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन कर इसे कमजोर करने का कार्य किया। इस पर नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर विपक्ष के सभी सदस्य 'वेल' में आकर जोर-जोर से अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान होने लगा। **इस पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 20 मिनट पर आधे घण्टे के लिये स्थगित की**

11 बजकर 50 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक बढ़ा दिया है।

12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही विपक्ष के सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर नियम 310 के अन्तर्गत दी गयी उक्त सूचना पर चर्चा कराने की मांग करते हुए 'वेल' में आकर जोर-जोर से नारेबाजी करने लगे। जिससे सदन में घोर व्यधान होने लगा।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-300 के अन्तर्गत 19 सूचनायें प्राप्त हुई है। वे सभी सूचनाओं को ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकार कर रहे है।

1. श्री राजकुमार ठुकराल — जनपद ऊधमसिंह नगर के जिला मुख्यालय रूद्रपुर में मेडिकल कालेज के निर्माण के सम्बनध में।
2. श्री महेन्द्र भट्ट — गैरसैंण को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में।
3. श्री गोपाल सिंह रावत — गंगोत्री-गौमुख तपोवन से आगे ट्रैक मार्गो पर जाने वाले साहसिक पथारोहियों के लिये ट्रैक रूट क्षतिग्रस्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4. श्री प्रीतम सिंह पंवार — ग्राम पंचायत टिकरी विकास खण्ड, जौनपुर, जनपद टिहरी के वृद्धावस्था, विकलांग पेंशनधारियों की पेंशन का भुगतान न करने के सम्बन्ध में।

5. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	राजकीय पालीटैक्निक सल्ट में लम्बे समय से कम्प्यूटर साईंन्स में प्रवक्ता न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6. श्री नवीन चन्द्र दुम्का	भाबर क्षेत्र में गूल, पोखरे, नाले प्राकृतिक धरोहरों को बर्बाद होने से बचाये जाने के सम्बन्ध में।
7. डा0 प्रेम सिंह राना	नानकमत्ता विधान सभा के अन्तर्गत तहसील सितारगंज के रनसाली ग्रामीणों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।
8. श्री बिशन सिंह चुफाल	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के राजकीय प्राथमिक विद्यालय रानीखेत के भवन न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
9. श्री केदार सिंह रावत	यमुनोत्री धाम के यात्रा मार्ग के डबरकोट स्थान में मार्ग बाधित होने के सम्बन्ध में।
10. श्री राम सिह कैड़ा	विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ब्लाक ओखलकाण्डा के भीड़ापानी पतलिया मोटर मार्ग में हुई वाहन दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजन को घोषणा अनुसार मुआवजा न मिलने के सम्बन्ध में।
11. श्री हरीश सिंह	विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत तहसील भवन बंगापानी एवं तहसील भवन तेजम के भवन का निर्माण कार्य आरम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में।
12. श्री करन माहरा	बी0आर0सी0 एवं सी0आर0सी0 के पदों को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।
13. श्री राजकुमार	गोविन्द पशु वन विहार में रह रहे 42 गांवो के लगभग 19,991 लोगों के विस्थापन के सम्बन्ध में।
14. श्री चन्दन राम दास	विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में नगर पालिका परिषद् बागेश्वर में हुई वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में।
15. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल	विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दुग नाकुरी में स्थापित महाविद्यालय का भवन न होने के सम्बन्ध में।
16. श्री महेश सिंह नेगी	द्वाराहाट पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण कार्य नही होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
17. श्री देशराज कर्णवाल	ग्राम माधोपुर के रास्ते पर निर्माणाधीन एन0एच0- 73 द्वारा अण्डर पास दिये जाने एवं रसूलपुर के किसानों व सालियर के निवासियों को उचित मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।
18. श्री आदेश चौहान	पी0ए0सी0 के जवानों (कार्मिकों) को विशेष प्रोत्साहन भत्ता न दिये जाने के सम्बन्ध में।
19. श्री सुरेन्द्र सिहं नेगी	जनपद चमोली के दिवालीखाल किमोली मोटर मार्ग के वन/ पर्यावरण विभाग के कारण लम्बित होने के सम्बन्ध में।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-151(2) के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के ''31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन'' संख्या-2 वर्ष 2017 सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2016-17 के विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे (खण्ड-I एवं खण्ड-II) को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा कार्यसूची के मद संख्या-05,06,07,08 एवं 09 पर अंकित याचिका की उपस्थिति हेतु मा0 सदस्य श्री देशराज कर्णवाल का नाम पुकारा गया, किन्तु वे सदन में उपस्थित नहीं थे।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ग्राम सभा दरमोली (रामगढ़) से पिठेली के लिये 2 कि0मी0 मोटर मार्ग एस0सी0पी0 के तहत स्वीकृति पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में" श्री दीप कुमार पुत्र श्री सुन्दर लाल, ग्राम-दरमोली, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ग्राम सभा टांडा में रा0उ0प्रा0 विद्यालय टांडा का ध्वस्त भवन के मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में" श्री मदन परगाई पुत्र श्री प्रेम बल्लभ ग्राम-टांडा, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल में भीमताल, नौकुचियाताल, सातताल, कमलताल, हरीशताल, लोहाखामताल आदि झीलों के सौन्दर्यकरण तथा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु संसाधनों की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री अनिल चनौतिया पुत्र श्री इन्द्र सिंह, ग्राम-नौकुचियाताल, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल में ओखलकाण्डा ब्लॉक के रा0उ0मा0विद्यालय, गौनियारों में पानी व शौचालय की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री गिरधर सिंह पुत्र गोपाल सिंह, ग्राम-गौनियारो, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लाक के ग्राम टांडा, रिखाकोट, सुई, खनस्यू मोटर मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री दीपक परगाई पुत्र श्री प्रेम बल्लभ परगाई, ग्राम-टांडा, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लाक के पतलोट में राजकीय महाविद्यालय भवन बनाने के सम्बन्ध में" श्री शिव सिंह मटियाली पुत्र श्री लाल सिंह, ग्राम-मटेला, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लॉक में रा0प्रा0विद्यालय दिगोली के भवन में दरार आने के सम्बन्ध में" श्री धीरज भट्ट पुत्र श्री प्रेम बल्लभ भट्ट, ग्राम-दिगोली, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लॉक में रा0इ0कालेज, पश्यां में पानी व शौचालय की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री मंयक कुड़ाई पुत्र श्री देवकी नन्दन कुड़ाई, ग्राम-पश्या, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लॉक में रा0उ0मा0विद्यालय ककोड़ गाजा में पेयजल व शौचालय की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री नारायण सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, ग्राम-ककोड़, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लॉक में रा0प्रा0विद्यालय, बरमधार की क्षतिग्रस्त दीवार को बनवाये जाने के सम्बन्ध में" श्री अरवित सिंह पुत्र श्री महासिंह, ग्राम-बरमधार, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य डा0 प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के विकासखण्ड खटीमा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नैगवाठग्गू के भूजिया न0 3 में 1.50 कि०मी० कच्ची सडक के डामरीकरण के सम्बन्ध में" श्री भुवन जोशी पुत्र गोविन्द बल्लभ जोशी, ग्राम-भूड़ महोलिया, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य डा0 प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के विकास खण्ड सितारगंज के अन्तर्गत ग्राम मैनाझुण्डी से गोविन्दपुर, खुनसरा, खुनसरिया, डुरार, कौदारतन विभिन्न सड़कों के डामरीकरण के सम्बन्ध में" श्री हरजिन्दर सिंह पुत्र बलवीर सिंह, ग्राम-बिज्टी, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य डा0 प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के विकास खण्ड खटीमा के अन्तर्गत ग्राम भूड़ महोलिया नहर के पास से नौगवाठग्गू, नौगवा पटिया, नौगवानाथ एवं चंदेली मार्ग की ओर लगभग 10 कि0मी0 कच्ची सड़क के डामरीकरण के सम्बन्ध में" श्री नत्थू लाल पुत्र चन्दन लाल, ग्राम-नौगवाठग्गू, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य डा0 प्रेम सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता में ग्राम नगला से ध्यानपुर आरक्षित वन सीमा के किनारे होते हुए सरौंजा तक 08 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में" श्री सरजीत सिंह पुत्र फिरू सिंह, ग्राम-सरौंजा, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लॉक में प्रा0 स्कूल नया पदमपुर, प्रा0 स्कूल कौड़ार, प्रा0 स्कूल भनपोखरा, प्रा0 स्कूल काफली (सरकोट), प्रा0 सकूल पटरानी, प्रा0 स्कूल सुरंग एवं प्रा0 स्कूल पुटगांव के ध्वस्त भवनों का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री प्रेम राम, ग्राम-पटरानी, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के भीमताल ब्लॉक के ग्राम बानना के बानना इ0 कालेज से धुरा तक 6 कि0मी0 लिंग मोटर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री पवन पलड़िया पुत्र श्री केशव पन्त, ग्राम-बानना, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के धारी ब्लॉक के ग्राम बानना के रा0इ0 कालेज गुनियालेख, रा0इ0 कालेज भटेलिया, रा0इ0 कालेज सुन्दरखाल के ध्वस्त भवनों के जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री नवीन चन्द्र पुत्र श्री मोहन चन्द्र, ग्राम-ग्रनियालेख, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लाक के प्रा0 स्कूल डुंगरी, प्रा0 स्कूल कोटला, प्रा0 स्कूल चनेजर, प्रा0 स्कूल सिरसा, प्रा0 स्कूल क्वैदल, प्रा0 स्कूल पोखरी पुटगांव के ध्वस्त भवनों के जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री दीवन चन्द्र पुत्र श्री हरीराम, ग्राम-पोखरी, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लाक के प्रा0 स्कूल सिरायल, प्रा0 स्कूल पदमपुर, प्रा0 स्कूल सुवाकोट, प्रा0 स्कूल चकसदुला प्रा0 स्कूल सनवाल तोक, प्रा0 स्कूल अधोड़ा के ध्वस्त भवनों के जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री मोहन सनवाल पुत्र श्री भोला दत्त, ग्राम-गरगड़ी तल्ली, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लाक के ग्राम थलाड़ी (गगोलीगाड़) के गगोलीगाड़ गधेरे से गांव को खतरों से बचाने हेतु चैकडाम व सिमेंट के ब्लाक बनाने के सम्बन्ध में" श्री गंगा सिंह पुत्र श्री भीम सिंह, ग्राम-थलाड़ी, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लॉक के ग्राम थलाड़ी (गगोलीगाड़) में लघु सिंचाई विभाग द्वारा बनी बन्द पड़ी सिंचाई नहर खुलवाने के सम्बन्ध में" श्री महेश सिंह पुत्र श्री बची सिंह, ग्राम-थलाड़ी, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री खजान दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र राजपुर के अन्तर्गत जानमाल की हानि को रोकने हेतु राजपुर के दोनो छोर क्रमशः विन्दाल एवं रिस्पना के किनारे सुरक्षा दिवार/तटवध निर्माण के सम्बन्ध में" श्री शिब्बू थापा पुत्र कर्ण थापा, पूरण बस्ती, डालनवाला, देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा कार्यसूची के मद संख्या-32 एवं 33 पर अंकित याचिका की उपस्थिति हेतु मा0 सदस्य श्री बंशीधर भगत का नाम पुकारा गया, किन्तु वे सदन में उपस्थित नहीं थे।

घोर व्यवधान के ही मध्य आज नियम-58 के अन्तर्गत 05 सूचनायें प्राप्त हुई है, वे सभी सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन रहे है।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना पर चर्चा हेतु विपक्ष के मा0 सदस्यों का नाम पुकारा, किन्तु किसी भी सदस्य ने चर्चा में भाग नहीं लिया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 837611हजार (रूपये तिरासी करोड़ छिहत्तर लाख ग्यारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-1 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03 मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 1126220 हजार (रूपये एक सौ बारह करोड़ बासठ लाख बीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-3 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 2381406 हजार (रूपये दो सौ अड़तीस करोड़ चौदह लाख छ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-4 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य शहरी विकास मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05 निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 541268 हजार (रूपये चौवन करोड़ बारह लाख अड़सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-05 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-05 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 16660780 हजार (रूपये एक हजार छ सौ छियासठ करोड़ सात लाख अस्सी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-06 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-06 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 84124005 हजार (रूपये आठ हजार चार सौ बारह करोड़ चालीस लाख पांच हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-07 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य आबकारी मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08 आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 269870 हजार (रूपये छब्बीस करोड अठानवे लाख सत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-08 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-08 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-09 लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 181544 हजार (रूपये अठारह करोड़ पन्द्रह लाख चवालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-09 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 19356119 हजार (रूपये एक हजार नौ सौ पैतीस करोड़ इकसठ लाख उन्नीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-10 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 77016145 हजार (रूपये सात हजार सात सौ एक करोड़ इकसठ लाख पैतालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-11 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 22865660 हजार (रूपये दो हजार दो सौ छियासी करोड़ छप्पन लाख साठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-12 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-12 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 16360434 हजार (रूपये एक हजार छ सौ छत्तीस करोड़ चार लाख चौतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-13 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 864646 हजार (रूपये छियासी करोड़ छियालीस लाख छियालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-14 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 16660266 हजार (रूपये एक हजार छ सौ छियासठ करोड़ दो लाख छियासठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-15 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-15 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्रम एवं रोजगार मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16 श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 3549225 हजार (रूपये तीन सौ चौवन करोड़ बानवे लाख पच्चीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-16 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य कृषि मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 9666767 हजार (रूपये नौ सौ छियासठ करोड़ सड़सठ लाख सड़सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-17 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य सहकारिता मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 940887 हजार (रूपये चौरानवे करोड़ आठ लाख सतासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-18 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 22929968 हजार (रूपये दो हजार दो सौ बानवे करोड़ निन्यानवे लाख अड़सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-19 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-19 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य सिंचाई मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 9202872 हजार (रूपये नौ सौ बीस करोड़ अठ्ठाईस लाख बहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-20 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 3199392 हजार (रूपये तीन सौ उन्नीस करोड़ तिरानवे लाख बानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-21 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 20429235 हजार (रूपये दो हजार बयालीस करोड़ बानवे लाख पैतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-22 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-22 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 3078817 हजार (रूपये तीन सौ सात करोड़ अठ्ठासी लाख सत्रह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-23 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य परिवहन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 2736153 हजार (रूपये दो सौ तिहत्तर करोड़ ईकसठ लाख तिरपन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-24 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 2756461 हजार (रूपये दो सौ पचहत्तर करोड़ चौसठ लाख ईकसठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-25 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य पर्यटन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 1833658 हजार (रूपये एक सौ तिरासी करोड़ छत्तीस लाख अठ्ठावन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-26 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-26 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य वन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 8085540 हजार (रूपये आठ सौ आठ करोड़ पचपन लाख चालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-27 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-27 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य पशुपालन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 3034281 हजार (रूपये तीन सौ तीन करोड़ बयालीस लाख ईक्यासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-28 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-28 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य कृषि मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 3102610 हजार (रूपये तीन सौ दस करोड़ छब्बीस लाख दस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-29 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-29 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 14609669 हजार (रूपये एक हजार चार सौ साठ करोड़ छियानवे लाख उनहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-30 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-30के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव ने कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 4770384 हजार (रूपये चार सौ सतहत्तर करोड़ तीन लाख चौरासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-31 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित किया।

विधेयक की प्रतियां वितरित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची तथा खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2018 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक, 2018'' पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–13, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक, 2018,'' पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2018,'' पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–14, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2018,'' पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य शहरी विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम,1965) (संशोधन), विधेयक, 2018'' पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''उत्तराखण्ड (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम,1965) (संशोधन), विधेयक, 2018'' पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत निम्नांकित 14 सूचनायें प्राप्त हुई है :–

जनपद ऊधमसिंह नगर के जिला मुख्यालय रूद्रपुर में ट्रेचिंग ग्राउण्ड (कूड़ा घर) निर्माण हेतु सरकार द्वारा भूमि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री राजकुमार ठुकराल की,

जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ की थैंग एच0 बी0 पेयजल योजना के निर्माण की डी0पी0आर0 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति न मिलने के कारण जनता व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री महेन्द्र भट्ट की,

राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण उत्तराखण्ड के अन्तर्गत साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा प्रेरकों की मानदेय वृद्धि न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार की,

नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम देवीपुरा, पीलाढ़ाई, चैतुवाखेड़ा, ऐचंता, विही, गिधौर, कालाबूटा, ज्ञानपुर गौढ़ी के ग्रामवासियों को भूमिधरी का अधिकार न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य डा0 प्रेम सिंह राणा की,

मोहन-रानीखेत मोटर मार्ग को टू-लेन किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की,

जानकीचट्टी, बड़कोट, नौगांव में बहुमंजिला मोटर गाड़ी पार्किंग केन्द्र द्वारा प्राप्त आपदा राहत मद से निर्मित न होने से यात्रा में वाहन पार्किंग से होने वाले व्यवधान के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री केदार सिंह रावत की,

विधान सभा क्षेत्र भीमताल के रामगढ़, धारी, ओखलकाण्डा तथा भीमताल में पीने के पानी की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री राम सिंह कैड़ा की,

विधान सभा क्षेत्र कपकोट के ग्राम पंचायत कुवारी में भू-स्खलन से प्रभावित परिवारों का विस्थापन न होने के उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री बलवन्त सिंह भौर्याल की,

टनकपुर-जौलजीवी मोटर- मार्ग में अनियमितताओं के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री पूरन सिंह फर्त्याल की,

विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में बिना वित्तीय स्वीकृति के टैण्डर प्रक्रिया प्रारम्भ होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री चन्दन राम दास की,

जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय इण्टर कालेज, अस्कोट के जीर्ण-शीर्ण भवन से उत्पन्न्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री विशन सिंह चुफाल की,

विधायक निधि में ख्याति प्राप्त गैर सरकार संगठनों को कार्यदायी एजेन्सी बनाये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री देशराज कर्णवाल की,

टिहरी बांध से प्रभावित ग्राम रौलाकोट, नौताड़, कन्साली, बड़खोती, सांदणा, नारगढ़, चांठी, खाण्ड, म्यूडा, उप्पू सिंराई, मोरणा चौधार, भल्डगांव आदि का विस्थापन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री विजय सिंह पंवार की तथा

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में आटागाड़ से सिमली तक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त सिंचाई नहर का पुनर्निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी की है, वे सभी सूचनाओं को ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकार कर रहे है।

घोर व्यवधान के ही मध्य जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों के अभाव से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र भट्ट, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को नियम -53 के अंतर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री ने केवल वक्तब्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के कैलााश नदी में बाढ़ आने से दर्जनों गांववासियों की कृषि भूमि के तटबन्ध निर्माण कार्य न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में, श्री प्रेम सिंह राना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को नियम -53 के अंतर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तब्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत राजकीय प्राईमरी पाठशाला के भवन की टीन की क्षतिग्रस्त छत से उत्पन्न खतरे के सम्बन्ध में श्री विशन सिंह चुफाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को नियम -53 के अंतर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने केवल वक्तब्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य प्रदेश में 18 मीटर तक पुलों के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था को अधिग्रहित न किये जाने से ग्रामीण क्षेत्र के पुलों का निर्माण अवरूद्ध होने के सम्बन्ध में, श्री चन्दन राम दास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को नियम -53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री ने वक्तब्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

''राष्ट्रगान'' के उपरान्त सदन का उपवेशन 01 बजकर 05 मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुआ।

जगदीश चन्द्र
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

प्रेमचन्द अग्रवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।